यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

ठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

जस्व वाद संख्या : 14/2010

दी :-

. मांगीलाल पुत्र भागुराम

कायम मुकाम :-

/1 पतासी पत्नि मांगीलाल

/2 शारदा पुत्री मांगीलाल

/3 रामी पुत्री मांगीलाल

/4 चम्पा पुत्री मांगीलाल

/5 पुखराज पुत्र मांगीलाल

/6 नरेन्द्र पुत्र मांगीलाल

जातियान-माली,निवासी-रास

हसील-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मंजुकंवर पत्नि नारायणसिंह
   जाति-राजपूत,निवासी-रास
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)
2. सुमेरसिंह पुत्र नेनसिंह
   जाति-रावणा राजपूत
   निवासी-डिगरना,हाल-रास
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)
3. प्रेमकंवर पत्नि सुमेरसिंह
   जाति-रावणा राजपूत
   निवासी-डिगरना,हाल-रास
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)
4. रतनसिंह पुत्र रामचन्द्र
   जाति-रावणा राजपूत
   साकिन-सेवरिया
5. सागरराम पुत्र मोहनराम
   जाति-सुथार,निवासी-रास
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)
6. सुशीला पत्नि हीरालाल
   जाति-ब्राह्मण,साकिन-सेवरिया
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)
7. करणसिंह पुत्र जब्बरसिंह
   जाति-पुरोहित,निवासी-करमावास
   हाल-रास, तह0-जैतारण
8. कमलादेवी पत्नि उम्मेदराम
   जाति-सरगरा,साकिन-रास
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)
9. पारसमल पुत्र भोलाराम
   जाति-माली, निवासी-रास
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)
10. रामेदव पुत्र मिश्रीलाल माली
    (महावर) साकिन-रास
    तह0-जैतारण (जिला-पाली)
11. बद्रीलाल पुत्र मांगीलाल सांखला
    (माली) साकिन-रास
    तह0-जैतारण (जिला-पाली)
12. कमोदकंवर पत्नि किशोरसिंह
    जाति-राजपूत,निवासी-रास
    तह0-जैतारण (जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

13. पप्पुसिंह शेखावत पुत्र किशोरसिंह
जाति–राजपूत, निवासी–खिवासर
तह0–उदयपुरवाटी,जिला–झुझंनु
14. किशन गौड़ पुत्र सम्पतलाल
जाति–ब्राह्मण,निवासी–रास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
15. विजयसिंह पुत्र तेजसिंह
जाति–पुरोहित,निवासी–रास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
16. तहसीलदार, जैतारण
तह0–जैतारण (जिला–पाली)

राजस्व वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.03.03.2010**

उपस्थितः. 1. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 03/07/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण ने इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–रास चक नम्बर–1, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 315/4/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि के खातेदार (विक्रेता) मंजुकंवर पत्नि नारायणसिंह जाति–राजपूत, निवासी–रास से विक्रेता (खातेदार) का हिस्सा 62065/82764 हिस्सा रिकॉर्डेड था। उस हिस्से में से वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 16/08/07 के 5500 वर्ग फीट एवं 611.11 वर्ग गज का भू–खण्ड उक्त खातेदार से खरीद किया। उक्त बेचान के साथ जो भू–खण्ड विक्रय किया। उसका नक्शा भी 100 फुट x 55 फुट का साथ पेश हैं। इस प्रकार वादी उक्त भू–खण्ड जो जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद किया हैं, का खातेदार हैं एवं उक्त बेचान के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 में बतौर खातेदार के दर्ज हैं। इस प्रकार उक्त वादी उक्त कृषि भूमि का सह खातेदार व सह हिस्सेदार हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 तथा नकल रजिस्टर्ड बेचाननामा साथ पेश किया हैं उक्त वर्णित खरीद सुदा कृषि भूमि भू–खण्ड पर वादी वक्त बेचान से आज तक काबिज हैं। उक्त कृषि भूमि में से प्रतिवादी नंम्बर 1 से प्रतिवादीगण 2 से 15 ने भी अलग–अलग समय में जरिये रजिस्टर्ड बेचान के हिस्सा खरीद किया हैं। इसलिए उक्त प्रतिवादीगण 2 से 15 को किये गये विभिन्न रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2959, 2969, 2975, 2976, 3018, 3020, 3021, 3022, 3053, 3055 व 3073 के जरिये अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उक्त कृषि भूमि उक्त सभी प्रतिवादीगण की सामलाती सह खातेदारान् व सह खातेदारी की दर्ज हैं। जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 में बतौर खातेदार के प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हैं। उक्त कृषि भूमि में सभी प्रतिवादीगण की खातेदारी संयुक्त (Joint) हैं और उक्त कृषि भूमि संयुक्त होने से वादी अपने खरीद सुदा हिस्सा में किसी तरह का कोई भी कच्चा–पक्का निर्माण कर उक्त कृषि भूमि में सुधार (Improvement) नहीं कर सकता हैं। क्योंकि रेकर्ड के अनुसार वादी का हिस्सा किस स्थान पर किन सीमाओं के बीच स्थित

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मालुम नहीं पड़ता हैं और वादी को अपने खातेदारी अधिकारों अनुसार अपने रीदसुदा हिस्से की कृषि भूमि के चारदिवारी निर्माण कर सुधार करना हैं। इसलिए वादी को सामलाती कृषि भूमि होने से कानूनी तौर से उसे उक्त सुधार की अनुमति नहीं मिल सकती कि वादी किस स्थान पर किन सीमाओं में चारदिवारी का निर्माण करें। इसलिए वादी की ओर से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा हेतु यह वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश हैं। उक्त कृषि भूमि सेवरिया रोड़ पर बस स्टेण्ड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और उक्त सभी प्रतिवादीगण को खातेदार बेचानकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने सभी बेचान भू-खण्डों में किया हैं। इसलिए सभी प्रतिवादीगण संख्या 2 से 15 भी अपने-अपने खरीद सुदा भू-खण्डों पर कच्ची-पक्की चारदिवारी निर्माण करने पर आमादा है। अगर मौके पर उक्त कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा नहीं किया गया और किसी प्रतिवादी ने किसी अन्य पक्षकार हिस्सेदार की खरीद सुदा भूमि पर कोई भी निर्माण चारदिवारी कर दी तो भविष्य में और ज्यादा विविध मुकदमें बाजी होगी। इसलिए इन सभी पेचीदगीयों से बचने हेतु सही निर्णय के लिये मौके की माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी व प्रतिवादी के हिस्से की वाद ग्रस्त उक्त वर्णित दर्ज कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के पक्षकारान् के मध्य किया जावें। इस दादरसी हेतु तकासमा का वाद वादी की ओर से पेश किया हैं। वादी का वाद तकासमा आराजी का हैं। इसलिए राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार जैतारण इस मुकदमें में कानूनी रूप से आवश्यक पक्षकार हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या 16 बनाया गया हैं। बिनायवाद दिनांक 15/02/2010 को प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वर्णित दर्ज कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा कराने का कहने पर मना किया। तब बमुकाम-रास, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व अदालत बाला के क्षैत्राधिकार में हैं।

इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते जबाबदावा प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस तलब किये गये। बावजूद तामिली / सूचना प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 तथा 14 से 16 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 13 की ओर से वकील श्री देवेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता ने No Instruection Plead करने तथा बार-बार आवाजें दिलाने पर भी बावजूद सूचना / तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 मांगीलाल, पी0डब्ल्यू0-2 हनुमानराम के तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश किये, पी0डब्ल्यू0-1 से दस्तावेजात Exp-1 जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 प्रदर्शित करवाया जाकर सा0मि0 किये गये। अन्य शहादत वादी पेश नहीं करना चाहने से शहादत वादी बन्द की गई। दिनांक 24/02/2011 को वकील वादी ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा-रास-चक-I में कृषि भूमि खसरा नम्बर 315/4/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि के खातेदार (विक्रेता) मंजुकंवर पत्नि नारायणसिंह राजपूत निवासी-रास से, से विक्रेता (खातेदार मंजुकंवर) का हिस्सा 62065/82764 हिस्सा रेकर्डड था। उस हिस्से में से वादी ने (मांगीलाल) जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 16/08/07 के .5500 वर्ग फिट एवं 611.11 वर्ग गज का कृषि भू-खण्ड उक्त खातेदार से खरीद किया। उक्त बेचान के साथ जो भू-खण्ड विक्रय किया उसका नक्शा भी 100 X 55 फूट का साथ पेश हैं। इस प्रकार वादी उक्त भू-खण्ड जो जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद किया हैं का खातेदार हैं एवं उक्त बेचान के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 में बतौर खातेदार के दर्ज हैं। इस प्रकार उक्त वादी उक्त कृषि भूमि का सह खातेदार एवं सह हिस्सेदार हैं एवं मौके पर कब्जा काश्त हैं। प्रार्थी वादी की जमाबन्दी प्रदर्श 1 हैं वादी ने अपने वाद पत्र

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

के समर्थन में स्वयं का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश किया एवं इसी सन्दर्भ में अन्य गवाह हनुमान पुत्र देवराज ब्राह्मण का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश हैं। बाले हाजा अन्तिम लिखित बहस पेश कर अर्ज हैं कि वादी की जमाबन्दी राजस्व रेकर्ड खातेदार के आधार पर एवं सह हिस्सेदार के आधार पर अपने स्वामित्व व स्वत्व सुदा प्लाट का Improvement करना चाहता हैं। अतः वादी का तकारामा आराजी व हुक्म इम्तनाई दवामी का दावा डिक्री किया जावें। बाई मिट्स एण्ड बाउण्डरा बंटवाड़ा किया जावें।

प्रस्तुत लिखित बहस वकील वादी का अध्ययन किया गया। लिखित बहस में वकील वादी ने व्यक्त किया कि मंजूकंवर प्रतिवादी संख्या 1 खसरा नम्बर 315/4/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा की भूमि में 62065/82764 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार थे, में से वादी ने रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 16/08/07 के 5500 वर्ग फुट खरीद किया हैं एवं मौके पर कब्जा हैं तथा राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार माफिक पंजीयन दस्तावेज दर्ज हैं, का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाये जाने तथा वादी के कब्जे आदि में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत वाद-पत्र, जमाबन्दी, पंजीबद्ध विक्रय विलेख आदि दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया व लिखित बहस पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः वादी विवादित आराजी मौजा-रास-चक-I तह0-जैतारण की खसरा नम्बर 315/4/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मंजूकंवर के हिस्से 62065/82764 वें हिस्से में से 5500/82764 वे हिस्से की भूमि क्रय करने से अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड में उक्त हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। लिहाजा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा पक्षकारों में किया जाने व वादी के कब्जे में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने के अधिकारी हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-रास चक नम्बर-1, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 315/4/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2012/119 दिनांक 13/01/2012, अत्यावश्यक स्मरण पत्र पत्रांक/कोर्ट/2012/1302 दिनांक 24/08/2012, स्मरण पत्र-4 पत्रांक/कोर्ट /2013/1565 दिनांक 26/09/2013, अति आवश्यक स्मरण पत्र पत्रांक/कोर्ट/2014/1169 दिनांक 02/12/2014 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपनी मौका फर्द दिनांक 03/07/2015 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03/07/2015 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम छिक्री वहक वादीगण रूबरू प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–रास, चक नम्बर–। की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	पतासी पत्नि मांगीलाल शारदा रामी चम्पा पुत्रियाँ मांगीलाल पुखराज नरेन्द्र पि0 मांगीलाल जाति–माली सा0 रोहिसी तह. –मेड़तासिटी खातेदार।	315/10	0-06-00	दा0दो0	0.08 रु.
2	मंजुकंवर पत्नि नारायणसिंह 8824/77536 कौम–राजपूत, सा0 देह, शंकरकंवर पत्नि फेतुसिंह 4050/77536 कौम–राजपूत सा0 बावरा, गंगादेवी पत्नि गुदड़राम कौम–माली सा0 अमरपुरा 2800/77536, चम्पालाल पुत्र मांगीलाल माली सा0 जसनगर नागौर 1400/77536, गीतादेवी पत्नि घनश्याम कौम–माली सा0 अमरपुरा 2800/77536, सोहनलाल पुत्र वरतीराम कौम–माली सा0 मेड़ता जिला–नागौर 1400/77536, राजकंवर पत्नि शैतानसिंह 1575/77536 रावण राजपूत, सुमेरसिंह पुत्र नेनसिंह 1800/77536, प्रेमकंवर पत्नि सुमेरसिंह 1327/77536 कौम–रावणा राजपूत सा0 डिगरना हाल–देह, रतनसिंह पुत्र रामचन्द्र 3150/77536 कौम–राजपूत सा0 सेवरिया, सागरराम जांगिड़ पुत्र मोहनलाल जांगिड़ कौम–सुथार 4060/77536 सा0 देह, सुशीलादेवी पत्नि हीरालाल कौम–ब्राह्मण सा0 सेवरिया 2362/77536, करणसिंह पुत्र जबरसिंह 2500/77536 कौम–पुरोहित सा0 करमावास हाल–रास, कमलादेवी पत्नि उमेदराम कौम–सरगरा 5500/77536 सा0 रास, पारसमल भाटी पुत्र भोलाराम भाटी जाति–माली 3150/77536, रामदेव पुत्र मिश्रीलाल माली (महावर) सा0 देह 5500/77536 (बद्रीलाल पुत्र मोतीलाल सांखला कौम–माली सा0 देह 1/2, बगदूराम पुत्र देवाराम कौम–माली सा0 देह 1/2) = 13026/77536, सुशीलादेवी पत्नि हीरालाल कौम–ब्राह्मण सा0 सेवरिया 2500/77536, कमोदकंवर पत्नि किशोरसिंह राजपूत सा0 देह 2025/77536, पप्पुसिंह शेखावत पुत्र किशोरसिंह राजपूत सा0 खींवसर तह0 उदयपुरवाटी जिला–झुंझनू 3150/77536 श्री किशन गौड़ पुत्र सम्पतराज ब्राह्मण सा0 देह 2800 व.फी., विजयसिंह पुत्र तेजसिंह पुरोहित 1575/77536 सा0 देह खातेदार।	315/8	4-09-00	दा0दो0	1.11 रु.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 03/07/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र – रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

ैजिलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

दी :-

. मांगीलाल पुत्र भागुराम
के कायम मुकाम :-
/1 पतासी पत्नि मांगीलाल
/2 शारदा पुत्री मांगीलाल
/3 रामी पुत्री मांगीलाल
/4 चम्पा पुत्री मांगीलाल
/5 पुखराज पुत्र मांगीलाल
/6 नरेन्द्र पुत्र मांगीलाल
जातियान–माली,निवासी–रास
हसील–जैतारण (जिला–पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मंजुकंवर पत्नि नारायणसिंह
जाति–राजपूत,निवासी–रास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
2. सुमेरसिंह पुत्र नेनसिंह
जाति–रावणा राजपूत
निवासी–डिगरना,हाल–रास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
3. प्रेमकंवर पत्नि सुमेरसिंह
जाति–रावणा राजपूत
निवासी–डिगरना,हाल–रास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
4. रतनसिंह पुत्र रामचन्द्र
जाति–रावणा राजपूत
साकिन–सेवरिया
5. सागरराम पुत्र मोहनराम
जाति–सुथार,निवासी–रास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
6. सुशीला पत्नि हीरालाल
जाति–ब्राह्मण,साकिन–सेवरिया
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
7. करणसिंह पुत्र जब्बरसिंह
जाति–पुरोहित,निवासी–करमावास
हाल–रास, तह0–जैतारण
8. कमलादेवी पत्नि उम्मेदराम
जाति–सरगरा,साकिन–रास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
9. पारसमल पुत्र भोलाराम
जाति–माली, निवासी–रास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
10. रामेदव पुत्र मिश्रीलाल माली
(महावर) साकिन–रास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
11. बद्रीलाल पुत्र मांगीलाल सांखला
(माली) साकिन–रास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
12. कमोदकंवर पत्नि किशोरसिंह
जाति–राजपूत,निवासी–रास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)

उप खण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

13. पप्पुसिंह शेखावत पुत्र किशोरसिंह
जाति–राजपूत, निवासी–खिवासर
तह0–उदयपुरवाटी,जिला–झुझंनु
14. किशन गौड़ पुत्र सम्पतलाल
जाति–ब्राह्मण,निवासी–रास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
15. विजयसिंह पुत्र तेजसिंह
जाति–पुरोहित,निवासी–रास
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
16. तहसीलदार, जैतारण
तह0–जैतारण (जिला–पाली)

राजस्व वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:14/2010

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–रास चक नम्बर–। की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	पतासी पत्नि मांगीलाल शारदा रामी चम्पा पुत्रियाँ मांगीलाल पुखराज नरेन्द्र पि0 मांगीलाल जाति–माली सा0 रोहिसी तह. –मेड़तासिटी खातेदार।	315/10	0-06-00	बा0दो0	0.08 रू.
2	मंजुकंवर पत्नि नारायणसिंह 8824/77536 कौम–राजपूत, सा0 देह, शंकरकंवर पत्नि फेटुसिंह 4050/77536 कौम–राजपूत सा0 बाबरा, गंगादेवी पत्नि गुदड़राम कौम–माली सा0 अमरपुरा 2800/77536, चम्पालाल पुत्र मांगीलाल माली सा0 जसनगर नागौर 1400/77536, गीतादेवी पत्नि घनश्याम कौम–माली सा0 अमरपुरा 2800/77536, सोहनलाल पुत्र बस्तीराम कौम–माली सा0 मेड़ता जिला–नागौर 1400/77536, राजकंवर पत्नि शैतानसिंह 1575/77536 रावण राजपूत, सुमेरसिंह पुत्र नेनसिंह 1800/77536, प्रेमकंवर पत्नि सुमेरसिंह 1327/77536 कौम–रावणा राजपूत सा0 डिगरना हाल–देह, रतनसिंह पुत्र रामचन्द्र 3150/77536 कौम–राजपूत सा0 सेवरिया, सागरराम जांगिड़ पुत्र मोहनलाल जांगिड़ कौम–सुथार 4060/77536 सा0 देह,	315/8	4-09-00	बा0दो0	1.11 रू.

उप खण्ड अधिकारी
जैतारण, (पाली)

Scanned by CamScanner

सुशीलादेवी पत्नि हीरालाल कौम-ब्राह्मण सा0 सेवरिया 2362/77536, करणसिंह पुत्र जबरसिंह 2500/77536 कौम-पुरोहित सा0 करमावास हाल-रास, कमलादेवी पत्नि उमेदराम कौम-सरगरा 5500/77536 सा0 रास, पारसमल भाटी पुत्र भोलाराम भाटी जाति-माली 3150/77536, रामदेव पुत्र मिश्रीलाल माली (महावर) सा0 देह 5500/77536 (वद्रीलाल पुत्र मोतीलाल सांखला कौम-माली सा0 देह 1/2, बगदूराम पुत्र देवाराम कौम-माली सा0 देह 1/2) = 13026/77536, सुशीलादेवी पत्नि हीरालाल कौम-ब्राह्मण सा0 सेवरिया 2500/77536, कमोदकंवर पत्नि किशोरसिंह राजपूत सा0 देह 2025/77536, पप्पुसिंह शेखावत पुत्र किशोरसिंह राजपूत सा0 खींवसर तह0 उदयपुरवाटी जिला-झुंझनू 3150/77536 श्री किशन गोड़ पुत्र सम्पतराज ब्राह्मण सा0 देह 2800 व.फी., विजयसिंह पुत्र तेजसिंह पुरोहित 1575/77536 सा0 देह खातेदार।					

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 03/07/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुवलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	03	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	11	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	17	00	मिजानः-	01	00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner